न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 133/2022 जिला सीकर

1. नन्दराम पुत्र हरसुखा
2. रामकी पत्नी बोदूराम
3. सरोज पुत्री बोदूराम
4. सायरी पुत्री बोदूराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी डेहरान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. घीसाराम पुत्र रामदेव
2. मालीराम पुत्र रामनारायण समस्त जाति जाट निवासी ढाणी डेहरान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
3. भूमिधारी जर्ये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022

उपस्थित—

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —10.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 10.10.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 1500 रकबा 25.53 है0 अप्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2020 एवं 06.06.2022 को तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया। उक्त आराजी के प्रार्थीगण पडौसी खातेदार हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 घीसाराम पुत्र रामदेव ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को भूमि खसरा नं. 5198/1500 रकबा 25.53 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2022 के अनुसार नियमानुसार प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान् व अप्रार्थीगण पडौसी खातेदरान् को समुचित नोटिस जारी कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स श्री नन्दराम पुत्र हरसुखा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 भूमि खसरा नं. 5198/1500 रकबा 25.53 है0 में से केवल 149/2056 भाग का खातेदार है। अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बालाबाला ही बिना नोटिस दिये दिनांक 05.06.2020 को सीमाज्ञान करवा लिया। सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को निर्देशित किया गया था लेकिन तहसीलदार मौके पर नहीं गये न ही सहखातेदारान् को कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि खसरा नं. 5198/1500 रकबा 25.53 है0 की आज्ञा प्रसारित की गई है किन्तु तहसीलदार द्वारा केवल विशिष्ठ भू–भाग का सीमाज्ञान किया गया है। मौका रिपोर्ट में मुस्तगिल पाइन्ट खसरा नं. 1342 को कायम किया गया है जबकि इस पाइन्ट से विवादित भूमि खसरा नं. 5198/1500 लगभग 2 किलामीटर दूर है। अप्रार्थी द्वारा गलत तरीके से साज करके, नोटिस दिये बिना एवं प्रार्थी की गैरमाजूदगी में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 1500 रकबा 25.53 है0 रेस्पोंडेण्ट व संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि के सभी सहखातेदारान् को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2020 को तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर नियमानुसार किया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सीमाज्ञान किये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया जिस पर दिनांक 06.06.2022 को पुनः सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण बाद दूरभाष सूचना उपरान्त भी बार–बार लंम्बित रखने के उद्देश्य से अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेण्ट्स व अन्य सहखातेदरान् की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिसका उसे अधिकार है। अपीलांट्स पडौसी खातेदार है एवं उनका प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार प्रभावित होते हैं एवं अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान से उन्हें किस तरह आपत्ति है। अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Scanned by CamScanner

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 5198/1500 रकबा 25.35 हैक्टे. की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान व अप्रार्थीगण पडौसी खातेदारान को लिखित नोटिस से सूचित कर सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2022 की पक्षकरान की उपस्थिति में पुष्टि व संतुष्टि कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2022 पत्थरगढी कराने के आदेश दिये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनवानी घीसा बनाम नन्दाराम प्रार्थना पत्र संख्या 67/2020 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 10.10.2022 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5 रहा है। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक 1264 दिनांक 01.06.2022 की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 06.06.2022 को मौके पर पहुंचकर खसरा नम्बर 1342 को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुये आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशित किये जाने एवं पटवारी द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया था कि मौके पर उपस्थित होना है लेकिन वे जानबूझ अनुपस्थित रहे है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सूचित कर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः आदेश हैं कि</u> अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/4/25

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner